राजस्थानविश्वविद्यालय
जयपुर

क्रमांक: NEP-2020/ शैक्षणिक–प्रथम / 2024 / 42598-600 दिनांक : 21/10/24

1. प्रो. एस.के. गुप्ता,
   संयोजक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

2. डॉ. आर. ए. शर्मा,
   संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश समिति

3. डॉ. राकेश राव
   परीक्षा नियंत्रक

विषय :–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार दिनांक 17.10.2024 को दोपहर 1:30 बजे आयोजित हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की बैठक के कार्यवाही विवरण की एक प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णयों के अनुसार अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का श्रम करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

भवदीय,

(राजकुमार जैन)
उप–कुलसचिव (शैक्षणिक–I)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

क्रमांक:NEP-2020/शैक्षणिक–प्रथम / 2024 / 42601-603 दिनांक : 21/10/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, इन्फोमेटर सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से निवेदन है कि उक्त कार्यवाही विवरण को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
2. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

21/10/2024

अलका बालोदिया
सहायक–कुलसचिव ((शैक्षणिक–I)

राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

दिनांक 17–10–2024 को अपराह्न 01:30 बजे कुलपति सचिवालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में आयोजित हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की बैठक का कार्यवाही विवरण निम्न है :–

बैठक में उपस्थित सदस्यगण :–

1.	प्रो. एस.के. गुप्ता	संयोजक, NEP-2020
2.	प्रो. जी.पी. सिंह	निदेशक, शैक्षणिक
3.	प्रो. प्रदीप शर्मा	सदस्य, NEP-2020
4.	प्रो. जयन्त सिंह	सदस्य, NEP-2020
5.	प्रो. अनुराग शर्मा	सदस्य, NEP-2020
6.	प्रो. आर.ए. शर्मा	संयोजक, प्रवेश समिति
7.	डॉ. राकेश राव	परीक्षा नियंत्रक
8.	डॉ. राज कुमार जैन	उप–कुलसचिव (शैक्षणिक–प्रथम)

संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश समिति एवं परीक्षा नियत्रंक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत् एडमिशन/री–एडमिशन में आने वाली परेशानियों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करने के सम्बन्ध में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. दिनांक 22–10–2024 को प्रातःकालीन 11:00 बजे से 01:00 बजे तक जयपुर जिले में स्थित संघटक एवं सम्बद्व महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परामर्शदाताओं/सलाहकारों को तथा 02:00 बजे से 04:00 बजे तक दौसा जिलें में सम्बद्व महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परामर्शदाताओं/सलाहकारों को एच.आर.डी.सी. भवन, आर.ए. पोद्दार प्रबंधन संस्थान के पास, जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में आ रही दिक्कतों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये बुलाया जाये।
2. वार्षिक परीक्षा योजना की भांति ही स्वयंपाठी परीक्षार्थियों द्वारा प्रथम वर्ष (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर) में 52 क्रेडिट अर्जित करने पर द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। तथा नियमित विद्यार्थी से स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने पर स्वंयपाठी परीक्षार्थियों के लिये मान्य परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित होगी।

3. प्रति सेमेस्टर SGPA की गणना SGPA $(S_i) = \sum(C_i \times G_i)/\sum C_i$ तथा पाठ्यक्रम के पूर्ण करने पर CGPA की गणना CGPA $= \sum(C_i \times S_i)/\sum C_i$ के अनुसार करने के पश्चात् अंक–तालिका पर प्रदर्शित किया जावेगा। $\sum(C_i$ = संबंधित सेमेस्टर के कुल क्रेडिट (Total Credits of related Semester)

4. BACK PROMOTED परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर परीक्षा परिणाम के अनुसार SGPA भी परिवर्तित होगा तथा उसको अंकतालिका में प्रदर्शित किया जायेगा।

   BACK PROMOTED परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने एवं प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्रों के क्रेडिट अर्जित करने व तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करने पर ही पंचम सेमेस्टर में प्रवेश/परीक्षा के लिये योग्य होंगे।

5. BACK PROMOTED परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में बकाया प्रश्न–पत्रों (Due Papers) के नाम में परिवर्तन नही होने पर उक्त प्रश्न–पत्रों की परीक्षायें वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम (Syllabus in-force) के अनुसार होंगे। किन्तु प्रश्न पत्र के नाम में परितर्वन होने पर पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा होगी।

6. इस वर्ष जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक परिषद् बैठक दिनांक 23–08–2024 के टेबल एजेण्डा के निश्चय संख्या 14 द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित MDC-Multi Disciplanary Course लिया जावेगा।

7. किसी एक पाठ्यक्रम में परीक्षा परिणाम की स्थिति NOT/BACK PROMOTED OR PROMOTED होने पर विद्यार्थी द्वारा मांग की जाने पर उसी अथवा अन्य किसी पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जायेगा। तथा उसे परीक्षा प्रणाली/योजना के अनुसार समस्त प्रश्न पत्रों में पुनः सम्मिलित होना होगा।

8. NEP-2020 के दिशा निर्देशों में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम/कोर्स या अन्य पाठ्यक्रम/कोर्स में प्रवेश के संबंध में अनुमति दी गई है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति में कुछ शर्तों के साथ ही महाविद्यालय परिवर्तन की अनुमति दी गई है। विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालयों में NEP-2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। अतः सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु जारी प्रवेश नीति 2024–25 में NEP-2020 के अनुसार संशोधन हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया जाये।

9. परीक्षा 2024 में प्रथम वर्ष की परीक्षा में वार्षिक पद्धति से पूर्व–विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में उत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत ही प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु उसे पाठ्यक्रम को निर्धारित समय–सीमा अवधि में पूर्ण करना होगा। अन्यथा विद्यार्थी का सम्बन्धित पाठ्यक्रम में पंजीकरण निरस्त माना जायेगा।

10. Not Promoted विद्यार्थी के यदि सभी प्रश्न पत्रों में सतत् मूल्यांकन में 'C' Grade है उन्हें प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे विद्यार्थी संबंधित सेमेस्टर के due पेपर की परीक्षा दे सकते है।

11. Not Promoted विद्यार्थी जिनके प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर या किसी एक सेमेस्टर में यदि किसी paper का सतत् मूल्यांकन में 'C' Grade नहीं है तो उन्हें संबंधित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा।

12. प्रथन सेमेस्टर में Not Promoted छात्र का पुनः प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त (over & above) होगा।

अन्त में सभी सदस्यों ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रो. आर.ए. शर्मा,
(संयोजक, प्रवेश समिति)

प्रो. जी.पी. सिंह
(निदेशक, शैक्षणिक)

15/10/2024
प्रो. एस.के. गुप्ता
(संयोजक NEP-2020)

डॉ. राकेश राव
(परीक्षा नियंत्रक)

राजकुमार जैन
उप–कुलसचिव (शैक्षणिक–प्रथम)